

संशोधित सूचना

इस कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 4ए (i) व 4ए (ii) के अन्तर्गत आवासीय परियोजनाओं हेतु आमंत्रित बिड संख्या ACE-I/2019-20/1 दिनांक 11.6.2019, अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है। उक्त आदेश का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव-माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, (कम्प्यूटर), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेज कर लेख है कि बिड संशोधित सूचना को मण्डल वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
4. उप आवासन आयुक्त-वृत्त प्रथम/तृतीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आवासीय अभियंता, ई-प्रोक को भेज कर लेख है कि ई-प्रोक साईट पर संशोधित सूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करे।
6. आवासीय अभियंता खण्ड-द्वितीय/चतुर्थ/दशम, रा0आ0म0, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम